

वेतन/अवकाश वेतन पर्ची

शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश
नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल), कचेहरी रोड, प्रयागराज

संख्या 570

वे०प्र०प०/वित्त/न्यायिक/ई०आर०पी० P-203

दिनांक: 06/05/24

श्री प्रज्ञान सुक्ला

खासियत उप (सी० बी०) इलीगट

को सूचित किया जाता है कि वह आदेश संख्या 1154/Act/min (Services) 202

तारीख 13-4-24 राजपत्र का पृष्ठ के अधीन दी गई तारीखों से निम्नलिखित मासिक दरों पर वेतन/अवकाश वेतन और भत्ते लेने का हकदार है।

ब्योरे	1-4-24	16-4-24	17-4-24		
	किस तारीख से	किस तारीख से	किस तारीख से	किस तारीख से	
मूल वेतन/बैंड वेतन	120600-	120600-	120600-		
व्ययक्तिक वेतन					
गृहगाई वेतन					
विशेष वेतन					
अंतरिम सहायकता -30%				को प्रोत्सा	
अवकाश वेतन/बैंड वेतन					
गृहगाई भत्ता	64340-	64340-	64340-		
आवास किराया भत्ता					
मैतिलि सत्कार भत्ता	5000-	5000-	5000-	को प्रोत्सा	
व्ययक्तिक भत्ता	3000-	3000-	3000-		
राज्यासीय कार्यालय भत्ता					
शिक्षण भत्ता					
गृह प्रतिकर भत्ता				को प्रोत्सा	
जोड़	201820-	201820-	201820-		

वेतनमान J-3 (111000-163030) है प्रत्येक वर्ष की अवधि 01-01-24 तारीख को वेतन-वृद्धि देय होती है और अन्यथा कोई आदेश न होने पर 01-01-24 से वेतन-वृद्धि देय होगी।

- पंजी- (1) इस बात का विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त दरों के अनुसार बनाये गये प्रथम वेतन बिल के साथ यह पर्ची लगा दी जाय और प्रत्येक वेतन बिल के ऊपरी भाग पर हकदारी पंजी पृष्ठ संख्या लिखी जाये।
- (2) यदि अन्यथा न कहा गया हो तो अन्तिम वेतन-पत्र में उल्लिखित निधि अभिदानों की कटौतियां और सरकार को देय राशियों की वसूलियां कर लेनी चाहिये।

सं० : वे०प्र०प०/वित्त/न्यायिक/ई०आर०पी० P-203 तद् दिनांक :
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अलग 1
विशेष सचिव, ईरला बिक अनुभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
विशेष सचिव (वित्त), विधान सभा/विधान परिषद्/राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ प्रति प्रेषित।
जब कभी यह इस सरकारी अधिकारी के नाम कोई वेतन प्रमाण-पत्र जारी करें उसमें ऊपर दिया गया वेतन का ब्योरा देना न भूले।

अपर निदेशक/उप निदेशक